

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में दिनांक 09-11-20 को हरिओम की हत्या करने वाले अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को आलाकत्ल सहित किया गिरफ्तार ।

➤ **कृष्णा होटल पर खाने के रूपयों के देने को लेकर आपस में हुआ था विवाद ।**

थाना मक्खनपुर क्षेत्र में दिनांक 09.11.2020 को मृतक हरिओम उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र हाकिम सिंह निवासी ग्राम रूपसपुर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद को अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम रूपसपुर थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद हाल निवासी रामनगर थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद समय करीब 06.30 बजे शाम खाना खिलाने की कहकर घर से ले गया था। कृष्णा होटल NH 02 पर खाना खाया मृतक द्वारा खाने के पैसे न देने पर अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार उपरोक्त द्वारा मृतक के माथे पर वसूला से चोट पहुँचाकर हत्या कर दी तथा सबूत मिटाने के उद्देश्य से मृतक का पेन्ट उतारकर चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 10/11/2020 को मृतक के भाई सोनवीर सिंह द्वारा मु0अ0सं0 188/2020 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, व क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मक्खनपुर मय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11/11/2020 को मुखविर की सूचना पर अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार उपरोक्त को पायनियर तिराहा से समय करीब 09.20 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अपना जुर्म का इकबाल करते हुए हत्या में प्रयुक्त (आला कत्ल) वसूला व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुये पेन्ट व शर्ट को बिल्टीगढ अण्डर पास से फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले सर्विस रोड के पास सरसों के खेत से बरामद कराया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-राजू उर्फ राजकुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम रूपसपुर थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद हाल निवासी रामनगर थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1. हत्या में प्रयुक्त वसूला (आला कत्ल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-श्री विनय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
- 2-उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
- 3-का0 1155 आशुतोष, 4-का0 791 मुकेश शर्मा थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।